—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 163/2024

उनवान

1. भंवरी पुत्री रामदेव, जाट नि. चाट, नसीराबाद, हाल नि. मांगलियावास, पीसांगन,
2. मन्जू पुत्री रामदेव जाट नि. चाट, हाल नि. दिलवाडा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री मसूद परवेज

बनाम

1. सुन्दर पत्नी रामदेव,
2. मेघराज,
3. रंगलाल,
4. महेन्द्र उर्फ राजेन्द्र,
5. सत्यनारायण,
6. सुरेश,
7. जुगराज पि. रामदेव जाति जाट नि. चाट, नसीराबाद,
8. राज. सरकारर जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 2, 5 व 6 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
8 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :—20/6/25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चाट में प्रार्थीगण व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
229/182	किता 2	8.10
181/169	किता 24	7.37
78/84	343	0.09
183/171	किता 4	0.39
182/170	किता 10	6.56

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:31:04 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त आराजी में प्रार्थी के दादा ज्वारा पुत्र नन्दा के फौत होने के बाद प्रार्थीगण के पिता व ताया के नाम विरासत से दर्ज हुयी। प्रार्थीगण के ताया उगमा नाओलाद फौत हुये व प्रार्थीगण के पिता रामदेव की मृत्यु के बाद अप्रार्थी संख्या 5, 6 व 7 को उगमा का पुत्र बताते हुये

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नामान्तकरण अंकित कर दिया। शेष आराजी का नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने अपने नाम करवा लिया। उक्त आराजी के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थीगण बिना किसी कारण प्रार्थीगण के कब्जे काश्तमें दइखलदांजी कर रहै हैतथा वादग्रसत सम्पदा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 5 व 6 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि तत्कालीन खातेदार उगमा की मृत्यु हो गयी है। भूमि गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज होने के बाद नियमानुसार अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। अप्रार्थीगण मौके पर काबिज है। अतः आवेदन पत्र सव्यय खारिज किया जावे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम चाट में स्थित आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण रामदेव पुत्र ज्वारा की पुत्री है। रामदेव व उगमा की विरासत अप्रार्थीगण के नाम कब दर्ज की गयी, यह प्रार्थना पत्र में अंकित नही है। अप्रार्थीगण हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार को बिना विषम परिस्थितियों के पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के हक व अधिकार का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। प्रार्थीगण प्रकरण में विशेष पारिस्थितियॉं सिद्व करने में असफल रहे हैं। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगणकी खातेदारी में दर्ज है। भूमि का हाल इन्द्राज किस दिनांक से अप्रार्थीगण के नाम है यह प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नही किया है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तदनुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है। [illegible] से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम चाट की उक्त [illegible] **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन [illegible]

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:31:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड [illegible]धिकारी
नसीराबाद